PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 3, ISSUE 2

# महिला अत्याचार : सामाजिक समस्या के संदर्भ में

**डॉ॰ बी॰ एल॰ पवार**
समाजशात्र विभाग
विजनयगर आर्ट्स कॉलेज
सरोली गुजरात भारत

महिला अत्याचार विश्व के मानव समाजों की एक जटिल समस्या है । मानवीय समस्या के रूप में यह समस्या समाजों के लिए नई नहीं हैं । यह समस्या मानव इतिहास जितनी ही पुरानी और कलंकित मानी जाती है । बदलते समय और युगो में सिर्फ उसका स्वरूप बदलता रहा हैं । जैसे वैदिकयुग ,अनुवैदिकयुग में स्त्री का स्थान सम्मानजनक था । आदिकाल के अंत में और मुगल सल्तनत की स्थापना के समय नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी । इस समय देवदासी प्रथा, कन्याहरण,बालिका वध,सतीप्रथा आदि क्रूर और घातकी प्रथाएँ बलवत्तर थीं । ऐसी प्रथाओं के कारण स्त्री का जीवन अभिशाप बन गया । आधुनिक युग में भी कुछ समस्याएँ नए रूप बदलकर मानवसमाज में आज भी विद्यमान हैं । स्त्रियों के साथ हो रहे विभिन्न अत्याचारों के कारण विश्व के कई मानव समाज आज भी बदनाम हैं । कन्या का जन्म अभिशाप माने जाने के कारण आज समाजों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है । जिसके कारण समाजों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है ।

महिलाओं की विभिन्न समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इन पर हो रहे अत्याचारों की हैं । स्त्रियों पर हो रहे विभिन्न अत्याचार विश्व के सभी समाजों के लिए चिंताजनक एवं शर्मसार हैं । सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह हैं कि सभ्य समाजों के विकास के साथ-साथ यह समस्या तीव्र गति से और गंभीर समस्या के रूप में उभरती जा रही हैं । कन्याओं और स्त्रियों की सरेबाजार छेडखानी, बलात्कार, जातीय शोषण, मारपीट, घर छोड़ने से मजबूर करना,त्रास,जुल्मों आदि घटनाओं से अखबार भरे पड़े होते हैं, टी॰वी॰चेनलों पर सनसनीखेज खबरें चलती रहती हैं । प्रवर्तमान समय में लिंग परीक्षण की सुविधा के कारण स्त्री भ्रूण हत्या का कारोबार चल रहा है । स्त्री हत्या का यह अत्याधुनिक प्रमुख हथियार माना जाता हैं । प्रस्तुत अध्ययन में महिला अत्याचारों के विभिन्न रूपों की चर्चा करने से पहले मैं गुजरात

राज्य के सभी जिलों के पिछले दो दशकों के स्त्री-पुरुष असमानता के आंकड़ों की तुलना करना चाहता हूँ ,जिससे आनेवाली पीढी के अंधकारमय भविष्य की कल्पना की जा सके ।

**गुजरात के सभी जिलों में स्त्री-पुरुष का प्रमाण (१००० पुरुषों की तुलना में )**

| क्रम | जिल्ले | जाति आधार पर | | जाति प्रमाण चढ़ाव-उतार |
|---|---|---|---|---|
| | | २००१ | २०११ | |
| 1 | अमरेली | 986 | 964 | -22 |
| *2 | डांग | 986 | 1006 | +20 |
| *3 | दाहोद | 985 | 990 | +5 |
| *4 | साबरकांठा | 948 | 952 | +4 |
| 5 | कच्छ | 951 | 908 | -43 |
| 6 | जूनागढ़ | 955 | 953 | -2 |
| 7 | पोरबंदर | 946 | 950 | +4 |
| 8 | नवसारी | 955 | 961 | +6 |
| *9 | बलसाड | 919 | 922 | +3 |
| 10 | महेसाणा | 926 | 926 | = |
| 11 | जामनगर | 942 | 939 | -3 |
| *12 | नर्मदा | 948 | 961 | +13 |
| 13 | राजकोट | 930 | 927 | -3 |
| 14 | भावनगर | 936 | 933 | -3 |
| 15 | पाटन | 933 | 935 | +2 |
| *16 | पंचमहाल | 939 | 949 | +10 |
| 17 | गांधीनगर | 911 | 923 | +12 |
| *18 | बनासकांठा | 931 | 938 | +7 |
| *19 | भरुच | 920 | 925 | +5 |
| 20 | खेड़ा | 922 | 940 | +18 |
| 21 | सुरेन्द्रनगर | 923 | 930 | +7 |
| 22 | बड़ौदा | 919 | 934 | +15 |
| 23 | आणंद | 910 | 925 | +15 |
| 24 | सुरत | 835 | 787 | -48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | अहमदाबाद | 892 | 904 | +12 |
| *26 | तापी | प्राप्य नही | 1007 | |
| | गुजरात | 920 | 919 | -1 |

उपर्युकत सारणी से ज्ञात होता हैं कि गुजरात के सभी जिलों में स्त्री-पुरुष प्रमाण में असमानता पायी जाती हैं । पिछले दो दशकों की तुलना में जो चढ़ाव-उतार हुआ है वह हमें स्पष्टरूप में सारणी के अध्ययन से मिल सकता हैं ।

गुजरात की पूर्वोत्तर पट्टी को आदिवासी विस्तार के नाम से जाना जाता हैं । इंस क्षेत्र में बनासकांठा ,साबरकांठा ,पंचमहाल ,दाहोद ,नर्मदा ,भरूच ,तापी ,डांग और बलसाड आदि जिलों में कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग आदिवासियों की सभी जनजातियाँ पायी जाती हैं । अर्थात इन जिलों को आदिवासी आबादी वाले जिलों के नाम से भी जाना जाता हैं । सन २०११ की जनगणना के अनुसार १००० पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की सबसे ज्यादा संख्या गुजरात के तापी जिले में (१००७) पायी गई और दूसरे स्थान पर डांग जिल्ले में सन २००१ (९८६) और २०११ में (१००६) (+२०) पायी गई | दाहोद (९८५) और (९९०) (+५) के साथ अनुक्रम में तीसरे स्थान पर हैं | इस तरह नर्मदा (९४८) और (९६१) (+१३) ,साबरकांठा (९४८) और (९५२) (+४) ,पंचमहाल (९३९) और (९४९) (+१०) ,बनासकांठा (९३१) और (९३८) (+७),भरूच (९२०) और (९२५) (+५) और बलसाड (९१९) ओर (९२२) (+३) आदि क्रमश: पाये जाते हैं ।

गुजरात के अन्य जिलों में क्रमानुसार अमरेली (९८६) और (९६४) (-२२) ,नवसारी (९५५) और (९६१) (+६) ,जूनागढ़ (९५५) और (९५३) (-२) ,पोरबंदर (९४६) और (९५०) (+४) ,खेड़ा (९२२) और (९४०) (+१८) ,जामनगर (९४२) और (९३९) (-३) ,पाटन (९३३) और (९३५) (+२) ,बड़ौदा (९१९) और (९३४) (+१५) ,भावनगर (९३६) और (९३३) (-३) ,सुरेंद्रनगर (९२३) और (९३०) (+७) ,राजकोट (९३०) और (९२७) (-३) ,महेसाणा (९२६) और (९२६) (=) ,आणंद (९१०) और (९२५) (+१५) ,गांधीनगर (९११) और (९२३) (+१२) ,कच्छ (९५१) और (९०८) (-४३) ,अहमदाबाद (८९२) और (९०४) (+१२) ,सुरत (८३५) और (७८७) (-४८) और राज्य के (९२०) और (९१९) (-१) उपर्युक्त आंकड़ों से ज्ञात होता हैं कि गुजरात राज्य के २६ जिलों में से दो जिल्ले ज्यों आदिवासी क्षेत्रवालें को छोड़कर पिछले दो दशकों की तुलना में स्पष्टरूप से स्त्री-पुरुष असमानता पायी जाती हैं । २०११ की जनगणना में स्त्रियों की सबसे कम संख्या सुरत जिले में हैं ।

इन आंकड़ों के अध्ययन से हमें एक संदेश तो जरूर मिलता है कि आधुनिक काल में शिक्षा के प्रति प्रचार-प्रसार एवं वैचारिक क्रांति के बावजूद भी कन्या मूल्य ,कन्या जन्म के स्वीकार में अपेक्षित परिणाम शहर और सभ्य समाजों में दिखाई नहीं देता । इन विपरीत परिणामों की असरों से समाजों में हो रहे अत्याचारों के लिए लालबती या चेतावणी का संदेश दे रहा हैं । समाज में स्त्री-पुरूष की संख्या में पाये गए भयंकर असंतुलन के प्रमुख कारणों की चर्चा यहाँ यथेष्ट होगी |

**१.घरेलू हिंसा**

**२. दहेज प्रथा**

**३. जातीय शोषण**

**४. छेडखानी और अपहरण**

**५. बलात्कार और खून**

**६. स्त्री-भ्रूण हत्या**

## (१) घरेलू हिंसा :

यह विश्वव्यापी समस्या हैं और महिला हिंसा का पहला स्थल हैं । सामान्यत: घर को हम मंदिर की उपमा देते है ,लेकिन अभ्यासकर्ताओं और वर्तमान में बढ़ते हुये अपराधों से निर्देश मिलता हैं कि स्त्रियों के लिए अब घर ,परिवार भी सुरक्षित रहा नहीं गया । ज़्यादातर महिलाएँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पतियों के जुल्मों की शिकार होती हैं । इनको शारीरिक-मानसिक त्रास देते हैं ,पुलिस रेकर्ड से खुलासारूप ज्यादा मात्रा की संख्या में महिलाएँ पतियों के द्वारा पिटाई और अघटित बीभत्स शब्दों से अपमानित ,घरसे बाहर निकाल देना ,दहेज की मांग आदि शिकायतें होती हैं । चौंकानेवाली बात यह हैं कि पति-पत्नी के मामले में घर परिवार के सदस्य ,पड़ोसवाले ,और मित्र समूह दखल अंदाजी नहीं करतें ,वे समजतें हैं कि यह आपस का मामला हैं । ऐसे किस्सों में स्त्रियाँ पतियों से ज्यादा पीड़ित होती हैं । और महिलाएँ अपनी पीड़ा तब उजागर करती हैं ,जब पतियों की हिंसात्मक प्रवृतियाँ अपनी सहनशक्ति बाहर हो जाती हैं । इंडियन क्राइम ब्यूरों के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रति ९ मिनिट में एक निर्दोष महिला पतियों के पिटाई की शिकार होती हैं ।

**(२) दहेज प्रथा :**

इस कुरीति का उद्‌गमस्थान समाज और परिवार हैं । पहले यह प्रथा का अंश कुछ जाति-जुथों में ही सीमित था ,वह आज विशाल फ़लक पर ग्रामीण और निम्न वर्गो तक विस्तृत हो रहा हैं । स्त्री के शोषण-अत्याचारों के सुद्रढ कारणों में से एक मजबूत कारण दहेज हैं । भारतीय समाज परंपरावादी ,कुरीतियों ,ज्ञातिप्रथा के बंधनो से धिरा हुआ समाज है ,सामान्यत: शादी-ब्याह में दो पक्षों के बीच हो रहे व्यवहार ,चीज वस्तुओं का आदान-प्रदान ,मामूली भेंट सोगादें आदि रस्में सभी समाजों में पहले से सर्वविदित थी । लेकिन समय के प्रवाह के साथ-साथ इस प्रथाने विकट स्वरूप धारण कर लिया हैं । मानव विचारों ,मानव संबंधो का व्यापारीकरण और आर्थिक मूल्यों का महत्व चरम सीमा को पार करते ही स्त्री जीवन की कठिनाइ और गहरा संकट इस समस्या के मूल से बना ,कम मेहनत में ज्यादा पाने की लालसा में इन्सान-इन्सान की परवाह नहीं करता । समाजों में प्रतिदिन नये-नये तरीके से जुल्मों की संख्या बढ़ती जा रही हैं । इंडियन क्राइम ब्यूरों के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रति १७ मिनिट में एक निर्दोष महिला दहेज प्रथा के जुल्म का शिकार होती हैं ।

मनुष्य को सबसे बुद्धिशाली प्राणी माना गया हैं । इसके चतुस्चंचल स्वभाव को परखना ,किस परिस्थिति में कब ,कहाँ और कैसा व्यवहार करेगा और कब मौसम की तरह बदल जाएगा यह कहना बहुत मुश्किल हैं । वर्तमान परिवेश में देखा जाये तो सिर्फ जन्म का स्वीकार और शादी-ब्याह हो जाने पर स्त्री जीवन के सारे अरमान खत्म नहीं हो जाते,अधिकतर स्त्री जीवन सम्बन्धित जो आज सनसनीखेज घटनाएँ घटित होती है वह बेरहम क्रूरता से भरी मानव स्वभाव से लांछन स्वरूप होती हैं । दहेज के कारण कन्या जन्म का अस्वीकार से कड़ी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं । जब युवान पत्नी आत्महत्या करती है या दहेज की मांग में पति के जुल्मों से तंग आकार आग में अपना जीवन समर्पित कर दे ताकि वह दूसरी शादी कर सके और अपनी इच्छानुसार दहेज का मूल्य पा सके । ज़्यादातर दहेज संबंधी हत्याओं को दुर्घटनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता हैं । ज्यों अधिक मात्रा में घर के अंदर ही होती हैं । ऐसी घटना में गवाह का अभाव और आकस्मिक नाम देने के कारण इन हत्याओं में कानूनी फैसला देना बहुत कठिन बन जाता हैं । अर्थात पत्नी जिंदा रहे तो भी वह अपने पति ,समाज के खिलाफ पुलिस में बयान नहीं कर पाती ,क्योंकि अपनी समाज व्यवस्था ही ऐसी है ,अर्थात ऐसा बयान महिला का वफादारी के विपरीत माना जाता है ,साथ में अपने पिता-परिवार की बदनामी के भय से मरणासन्न स्थिति में सही बयान नहीं देती है ।

मौन रहना स्त्री जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है । वह तब तक मौन रहती है जब तक आखिरी सांस निकल न जाए । शास्त्रों के मुताबिक शादी-ब्याह स्त्री-पुरुष के लिए

जन्मोजन्म का बंधन ,संसार रथ के दो पहियों के रूप में स्वीकारा गया हैं ,लेकिन बदलते समय में द्रुत गति के साथ मौज-शौक पूरा करना ,आर्थिक उपार्जनों में सध्धरता पाने में मनुष्य पुराने खयाल पीछे छोड़ चुके हैं । शादी के मंडप में सिर्फ दो दिलों का मिलन ही नहीं ,बल्के दो दिलों का करारी सौदा बन गया हैं । किसको क्या पता था कि शादी के मंडप में जलाई गइ होम-हवन की आग ,ब्राहमण-पुरोहित के मंत्रोच्चार से भारी हुई अग्नि एक दिन ज्वाला बनेगी और जलाकर राख कर देगी ,शादी हो जाने से स्त्री जीवन का सारा अरमान खत्म नहीं हो जाता ,शादी के बाद भी स्त्री जीवन में खतरा बना रहता हैं । भारतीय समाज पुरुषप्रधान समाज है ,इसलिए पुरुष बालक (लड़का) पाने की और अपना वंश चलाये रखने की लालसा में और प्रथम पत्नी पुरुष बालक जन्म में विफल रहने पर स्त्री के साथ अमानुषी बर्ताव शुरु हो जाता हैं । इन विभिन्न प्रश्नों से खड़ी हुइ असंतुलित जन्मदर की समस्या आनेवाले भविष्य के लिए भयानक कारणों का संकेत दे रही हैं ।

**(३) जातीय शोषण :**

महिला लैंगिक हिंसा के अंक शायद गुजरात प्रदेश में ही नहीं भारतभर के सरकारी दफ़्तरों में भी मिलना बहुत मुश्किल हैं । इन कारणों और किस्सों में जिम्मेदार अफसर को प्रकाश में नही लाया जाता । समाज में महिला को कमजोर माना जाता हैं ,इनकी रक्षा करना परिवार की इज्जत मानी जाती हैं । इन्हीं कारणों से महिलाएं अपने आप पर हो रहे अपराधों की कानूनी कार्यवाही में आगे नहीं आती ,क्योंकि अपनी आबरू और परिवार की आबरू और सुरक्षा के कारण तथा पुनर्विवाह होगा तो वे अपने पति के साथ रहेगी तब वे समाज के विभिन्न स्थानों पर शर्मसार होगी । कानूनी कार्यवाही में ऐसे अपराधों को साबित करना समाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता हैं । जिसमे मेडिकल जाँच ,उचित गवाहों को प्रस्तुत करना बहुत कठिन कार्य बनता हैं । न्याय प्रणाली के समस्त पहलू ऐसे हैं कि जिनका गहरा प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिक पर पड़ता है । सामाजिक संगठन ,लैंगिक हिंसा आदि के लिए नये कानून की मांग हो रही है ,जिस कारण वह सरलता से सिद्ध हो शके । वर्तमान में इस दिशा में नया कदम लिया जा रहा है ,जैसे पुलिस प्रक्रिया ,कानूनी प्रक्रिया आदि में आमूल परिवर्तन हो रहा हैं ।

(४) छेडखानी और अपहरण

द्रुत गति से बढ़ती हुइ आबादीवालें देश में आज हर किसीको अपनी सलामती का डर सताता है ,ज़्यादातर तो स्त्रियों और बच्चों को ? इन्सान अपने घर से बाहर सलामत तो निकलता है,लेकिन क्या पता वह वापस सलामत घर लौटे या नहीं । जंगल में हिंसक पशुओं से बचकर निकल आना आसान हैं,लेकिन मनोविकृत दानव-दरिंदो के फंदे से बचने की

उम्मीद नहीं रहती । क्योंकि ऐसे लोगों में कोई दया-धर्म,माँ-बहन और परिवार जैसे रिस्तों की समज और व्याख्या नहीं होती ।

वर्तमान समय में हर शहर ,गाँव और चौराहें तक नए जमाने की अत्याधुनिक टेकनोलोजी के संशाधनिक उपार्जन जैसे मोबाइल ,टी॰वी॰ इन्टर नेट सेवाएँ,समाचार पत्र,आदि प्रसार-प्रचार की कुछ जीवंत सेवाएँ पहुँच चुकी है । इसमे मनोरंजन के साथ साथ कुछ अच्छी-बूरी खबरें, कहानियाँ ,अंग प्रदर्शनवाली नंगी तस्वीरें ,छेडखानी ,अपहरण ,बुरी आदतें-अदायें ,भड़कानेवाले कुछ अपराधों की सनसनीखेज तरकीबें आदि सस्ता मसाला कई विचलित विकृतियों को उकसाती रहती है । छेड़खानी या अपहरण दैनिक जीवन में एक सामान्य फेशन की तरह समाज को विकृत कर रही है ।

प्राचीनकाल में ज्ञाति का बंधन ,परदाप्रथा ,घरकी चार दीवारों की अंदर रहना आदि कठोर बंधन होने के बावजूद भी स्त्रियाँ कुछ हद तक अपने को सलामत मेहसूस करती होगी ,लेकिन वर्तमान समाज में समानता का अधिकार होते हुए भी स्त्रियों की छेड़खानी ,अपहरण ,बलात्कार ,जबरन देहव्यापार जैसे कई अपराधों से टी॰वी॰समाचार और अखबारों के पन्ने भरे रहते हैं ।

## (५) बलात्कार और खून

सामान्य तौर पर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ,डरा-धमकाकर ,धोखा देकर जबरन सम्भोग करना इसे कानूनी परिभाषा में बलात्कार माना जाता है । वर्तमान में ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही हैं । आज स्त्री जीवन के लिए अपने घर से लेकर जनजीवन और अंतिम काल तक सलामती का प्रश्न हर तरह उठता रहा है ,चाहे वह नाबालिग हो ,युवान हो ,शादी-शुदा या अकेली बुजुर्ग महिलाएँ हो । क्राइम क्लॉक के आंकड़े के मुताबित प्रति २९ मिनिट में एक स्त्री नरधामों की शिकार बनती हैं ,तो प्रति १६ मिनिट में खून होता हैं ।

## (६) स्त्री-भ्रूण हत्या

स्त्रीभ्रूण हत्या प्रवर्तमान समय की गंभीर समस्याओं में से एक है । यह समस्या असंतुलित जाति जन्मदर और बालिका हत्या का कारण हैं । यह समस्या कोई नई नहीं है ,यह सिलसिला तो प्राचीन समय से विभिन्न कारणों और स्वरूपों में बिना रोकटोक चलता आ रहा हैं । कन्याओं की घटती हुइ आबादी समाजों के लिए लालबती समान हैं । दूसरी ओर असंतुलित जन्मदर के कारण स्त्री अत्याचारों की संख्या बढ़ती जा रही हैं । हम जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुषप्रधान समाज होने के कारण स्त्री जन्म का अस्वीकार और तिरस्कार सदियों से होता रहा हैं । यहाँ स्त्री का स्थान गौण रहा हैं । विभिन्न युगों की भाँति भारतीय

समाज में स्त्री का स्थान अस्थिर-सा दिखाई देता हैं । पुत्र प्राप्ति और अपनी वंशानुगत पीढ़ी को बरकरार रखने के ख्वाब में स्त्री-बेटियों के जीवन से खिलवाड़ ,तिरस्कार करना यह तो भारतीय समाज और ज्ञातिप्रथा की सदियों से चलती आ रही परंपरा है ।

महान समाज सुधारक राजाराम मोहन राय के समय-काल तक किस्मत से बेटियों का जन्म तो होता था ,जो भी क्रूरता होती थी वह जन्म के बाद होती थी । वह आज अत्याधुनिक गर्भ परीक्षण की तकनीकी ने बालिका का जन्म लेने का अधिकार भी छिन लिया । आर्थिक उपार्जनों ,वैभवी जीवनशैली ,कम मेहनत में ज्यादा पाने की लालसा अर्थात लेन-देन के कारण एक जीव -दूसरे जीव की परवाह करे बिना इन्सानियत खो बैठता हैं । लेकिन डड्डर समाजों ने कभी आनेवाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचा कि ,स्त्रियों की घटती हुई आबादी के कारण स्त्री जीवन से जुड़ी कई समस्याएँ आनेवाले भविष्य के लिए कितनी घातक बन सकती हैं ।

**बालिकाओं की हत्या करने की कई तरकीबें समाज में प्रचलित हैं । जैसे -**

- धतूरे के बीज को पीसकर गाय या माँ के दूध में मिलाकर ।
- आंकड़े के दूध को गाय या माँ के दूध में मिलाकर ।
- भीगे कंतान को बच्ची के मुँह पर डालकर या बजनवाली गद्दी के नीचे बच्ची को सुलाकर।
- गला घोंटकर ।
- खाना न देना ।
- बीमार बच्ची की देखभाल न करना ।

समाजों में फ़ैली हुई मान्यताएँ या विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप कन्या जन्म की घटती हुई आबादी के कारण सरकारने "बेटी बचाओं अभियान "के लिए गर्भ परीक्षण के साधनों पर पाबन्दी लगाई तो दूसरी और कई तरकीब नये समय में बलवत्तर हो रही हैं । वे आनेवाले समय के लिए गंभीर समस्याओं के रूप में चिंता का कारण बन सकती हैं । ऐसी साजिश से की गइ हत्याओं को कुदरती या आकस्मिक मोत का नाम देने का प्रयास किया जाता है । घरेलू साजिश का ठोस कारण बाहर न आने पर पुलिस दफ्तर तक ऐसे मामले कभी पहुँच पाते ही नहीं । ऐसी गुप्त साजिशों के कारण समाज में बालिकाओं की संख्या कम होती जा रही है ।

**अवलोकित तारण :**

- ऐसे अपराधों के लिए दंड संहिता में तत्काल सुधार और सख्त कानून की जरूरत हैं ,ऐसे अपराधियों को किसी भी तरह बक्सा नहीं जाना चाहिए ।
- टी॰वी॰प्रसारण ,मोबाइल और नेटवर्क सेवाओं के जरिये हो रहे प्रसारण की घटिया तस्वीरें ,सनसनीखेज उत्साहित करनेवाली स्टोरियाँ पर कानूनी प्रतिबंध लागू करना चाहिए ।

## संदर्भ सूचि :

(१) गुप्ता कमलेश कुमार (२००५) : महिला सशक्तिकरण ,बुक एनक्लेव जयपुर
(२) नाटाणी प्रकाश नारायण (२००७) : कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओके प्रति घरेलूं हिंसा,बुकएनक्लेव भारत
(३) आहूजा राम : अपराधशास्त्र ,रावत पब्लिकेशन ,जयपुर
(४) डॉ॰ पांडे गणेश : अपराधशास्त्र ,राधा पब्लिकेशन ,दिल्ली॰
(५) डॉ॰दवे॰हर्षिदा॰एच॰ : सामाजिक समस्याए ,यूनि॰ग्रंथ निर्माण बोर्ड ,अहमदाबाद॰